MOST-URGENT
OUT – TODAY

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

क्रमांकः न्याय/कोरोना/2020/ 22935 दिनांकः– 13 मई, 2020

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता ::

भीलवाड़ा जिले में नोवल कोरोना वायरस (**COVID-19**) से संक्रमित व्यक्तियों के चिन्हित होने एवं संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से कार्यालय के आदेश समसंख्यक क्रमांक 22470 दिनांक 20 मार्च 2020 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत **भीलवाड़ा शहर एवं उपखण्ड मुख्यालय गुलाबपुरा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में** सख्त निषेधाज्ञा लागू की जाकर समय–समय पर विभिन्न निर्देश/छूट/शिथिलता प्रदान की गई है।

उक्त लागू निषेधाज्ञा के अग्रसरण में भीलवाड़ा जिले में जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से मुझे यह समाधान हो गया है एवं मै संतुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत भीलवाड़ा जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों में लागू सख्त निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित कर निषेधाज्ञा लागू किया जाना उचित हैं।

अतः मैं **राजेन्द्र भट्ट, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा** ऐसी स्थिति मे **भीलवाडा जिले के समस्त संबंधित शहरी क्षेत्रों में** निवासरत नागरिकों की सम्भावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से **दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा144 के तहत लागू सख्त निषेधाज्ञा को प्रत्याहरित करते हुये** नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाये रखने की दृष्टि से भीलवाड़ा जिले के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर निम्नानुसार निर्देश देता हूं :–

जिले के शहरी क्षेत्रों के राज्य सरकार के निर्देशानुसार निम्नानुसार ऑरेन्ज जोन में अनुमत गतिविधियां **प्रातः 7.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक** संचालित हो सकेगी :–

- **दुकानें :–**

A. केमिस्ट, चिकित्सा उपकरण आदि आयुष पशु चिकित्सा दवाईयों आदि।
B. चश्मा एवं चश्में वालों की दुकानें।
C. किराना, प्रोविजनल स्टोर (खाद्यान, दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं स्वच्छता उत्पाद)।
D. फल, सब्जिया, दूध डेयरी उत्पाद, अण्डे, मीट, चिकन एवं फिश।
E. पशु, पशु आहार, मुर्गी दाना के डिपों एवं इनसे जुडे हुये संबंधित विक्रय केन्द्र।
F. कृषि एवं उद्यानिकी से संबंधित सामान जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के उपकरण।
G. कृषि मशीनरी यंत्रों, उपकरणों के विक्रय, स्पेयर पार्टस एवं मरम्मत की दुकानें
H. रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय (केवल होम डिलेवरी)
I. विशेष रूप से राजमार्गो पर ट्रकों की मरम्मत के लिये कार्यशाला/दुकानें
J. उचित दूरी पर टायर पंक्चर/रिपेयर की दुकानें
K. राजमार्गो पर भोजन हेतु उचित दूरी पर **जिला कार्यालय से अनुमति प्राप्त ढाबे** (जैसे 40 कि0मी0) पर आउटडोर खाने की सुविधा के साथ।
L. सभी प्रकार के वाहनों के लिये अधिकृत कम्पनी के Service & Repair Centres
M. अनुमत परिवहन वाहनों के लिये स्पेयर पार्टस की दुकानें।

.... 2

N. बिजली एवं पंखो की दुकानें
O. प्रीपेड मोबाईल कनेक्शन के रिचार्ज के लिये आउटलेट्स मात्र
P. छात्रों के लिये शैक्षिक पुस्तकों की दुकानें **(यथासम्भव होम डिलेवरी)**
Q. **शराब की दुकानें**

- **SERVICES :-**

A. E-Commerce **कम्पनी** (Only for Essential Service) .
B. Utility Services (Self Employed Persons) - यथा Electrician Plumber, IT Repairs, Motor & Other Mechenic, Cobblers, Laundry Services, Washerman etc .
C. Private Security & Facility Management Services .
D. Home Delivery Companies / Courier Services .

- **वाणिज्यिक एवं अन्य प्रतिष्ठान :–**

A. बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम :– बैंक संचालन के लिये आईटी विक्रेता, बैंकिंग अभिकर्ता एवं एटीएम के संचालन एवं नकदी प्रबन्धन एजेन्सीज
B. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रसारण एवं केबल सेवायें
C. टेलिकम्युनिकेशन, इन्टरनेट सर्विसेज, आईटी सक्षम सेवायें :– डाटा एवं कॉल सेन्टर्स (केवल सरकारी गतिविधियों/आवश्यक सेवाओं के लिये) जहां तक सम्भव हो **"वर्क फ्रोम हॉम"** किया जावें। अन्य आईटी एवं आईटी सक्षम सेवाओं के लिये 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ और जहां तक सम्भव हो **"वर्क फ्राम हॉम"** किया जावें।
D. परिवहन सेवाओं के कार्यालय एवं गोदाम (सामान के आवागमन के लिये)
E. ऊर्जा उत्पादन, सम्प्रेषण एवं वितरण ईकाईयां एवं सेवायें
F. भारत के सेबी द्वारा अधिसूचित केपिटल एवं ऋण बाजार सेवायें
G. न्यूनतम स्टॉफ के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थायें, हाऊसिंग फाइनेंस कम्पनीज एवं माइक्रों फाइनेंस संस्थान।
H. सहकारी साख समितियां

- **उद्योग एवं कार्यशालायें** गृह विभाग, राज0 जयपुर के आदेश दिनांक 15.04.2020, 02.05.2020, 05.05.2020 एवं समय–समय पर जारी निर्देशानुसार **अनुमत श्रेणी के** उद्योग/कार्यशालायें यथा निर्देशित खुल सकेंगें।

- **भण्डार गृह एवं गोदाम :–**

A. कार्यालय एवं डिपो में सामान चढाने एवं उतारने के लिये न्यूनतम कार्यालय स्टॉफ एवं श्रमिक नियोजित किये जावेगें।
B. कॉल्ड स्टोरेज

- **निर्माण गतिविधियां :–**

A. चिकित्सा/स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का निर्माण
B. ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थात नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं की सीमाओं से बाहर, सडकों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनायें एवं सभी निर्माण गतिविधियों की अनुमति हैं।
C. अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण

.... 3

D. नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं की सीमाओं के अन्दर निर्माण परियोजनाओं के कार्यो की निरन्तरता जारी रखना जहां साईट पर श्रमिक उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से दैनिक आधार पर लाने की आवश्यकता नहीं हैं।

E. महानरेगा कार्य

F. सिंचाई एवं जल संरक्षण क्षेत्रों में सरकार से अनुमत कार्य

- **कृषि एवं उद्यानिकी एवं सम्बद्ध गतिविधियां** :– प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्त गतिविधियां
- **सामाजिक क्षेत्र** :–

A. शिशु/दिव्यांगों/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं के लिये आश्रय गृहों का संचालन

B. सुधार गृह, देखभाल गृहों तथा किशोरों के लिये सुरक्षित स्थान

- **माल/परिवहन सेवायें एवं परिवहन** :–

A. सभी चिकित्सा एवं पशु चिकित्सका कर्मियों एवं अन्य समस्त स्टॉफ का आवागमन

B. सभी माल/कार्गो के अन्तर जिला एवं अर्न्तराज्यीय चढानें/उतारने व आवागमन तथा सभी माल वाहनों के चलने की अनुमति होगी।

C. सभी प्रकार के माल वाहक ट्रकों तथा अन्य माल वाहकों का दो वाहन चालक एवं एक हेल्पर सहित आवागमन इस शर्त के साथ कि ड्राईवर के पास वैद्य अनुज्ञा पत्र हो, खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलेवरी एवं सामान लेने की अनुमति दी जावेगी।

D. कृषि उपकरण यथा संयुक्त हार्वेस्टर एवं संयुक्त औजार का आवागमन अनुमत होगा।

- **नाप तोल कांटा/धर्मकांटा**
- **कार्यालय** :–

A. सभी निजी कार्यालय आवश्यकतानुसार 33 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगें। शेष व्यक्ति वर्क फ्राम हॉम की स्थिति में रहेंगें।

B. राजकीय कार्यालय गृह विभाग, राज0 जयपुर के आदेश दिनांक 15.04.2020 में उल्लेखित सरकारी कार्यालयों (केन्द्र/राज्य सरकार) यथा निर्देशित खुल सकेंगें।

उपरोक्त अनुमत श्रेणी के अतिरिक्त (Essential & Non Essential) निम्नलिखित अवस्थित दुकानें संचालित हो सकेगी :–

1. **"पडोस की दुकानें"** Neighbourhood Shops (जैसे कि **आवासीय क्षेत्रों में** और पास में यदि **सीमित दुकानें** हैं)।
2. **स्टेण्ड़–अलोन (सिंगल) दुकानें** (जैसे कि कोई **अलग से दुकान हो**), लेकिन जो किसी मार्केट कॉम्पलेक्स (बाजार/शॉपिंग कॉम्पलेक्स भवन) का भाग नहीं हैं।
3. **आवासीय परिसरों में दुकानें** (Residential Complex) श्रमिकों की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ तथा दिनांक 15.04.2020 के आदेश में दिये गये निर्देशानुसार जैसे–फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी आदि अनिवार्य होगी।

.... 4

प्रतिबन्धात्मक शर्ते :–

1. कोरोना वायरस के संक्रमण की सम्भावना को देखते हुए भीलवाडा जिले के शहरी क्षेत्रों में निवासरत व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अनुमत ऑरेन्ज जोन की अनुमत गतिविधियों एवं आपातकालीन सेवाओं के लिये ही अपने आवास से बाहर आवागमन कर करेंगे एवं किसी भी स्थान पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होगें।

2. जिले की सम्पूर्ण सीमा (शहरी/ग्रामीण) क्षेत्र में सांय 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे तक जन साधारण का आवागमन साधारणतः प्रतिबन्धित रहेगा। यह प्रतिबंध लॉकडाऊन क्रियान्वयन में संलग्न **प्रशासनिक, पुलिस एवं विभागीय कार्मिकों तथा चिकित्सा कार्मिकों, चिकित्सकीय आपात स्थिति, मेडिकल स्टोर्स, ट्रकों के आवागमन पर लागू नही होगा। उक्त समयावधि में सक्षम स्तर से बाद स्वीकृति आवागमन अनुमत होगा।**

3. जिले के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त व्यक्तियों द्वारा Wearing of Mask & Social Distancing के साथ निम्नानुसार वाहनों का संचालन/उपयोग किया जा सकेगा :–

साईकिल रिक्शा/ऑटो रिक्शा	**वाहन चालक एवं 1 सवारी**
04 Wheeler	**वाहन चालक एवं 2 सवारी**
02 Wheeler	**वाहन चालक**

4. भीलवाड़ा जिले के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/कोचिंग संस्थान, मॉल, शॉपिंग मॉल, मार्केट, मार्केट कॉपलेक्स, सिनेमा हॉल बन्द रहेंगे, व्यायाम शालाऐं, स्पोटर्स कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल, पान, गुटखा, तम्बाकू के विक्रय पर प्रतिबन्ध, नाई की दुकाने, स्पा, सैलून एवं तथा **समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, सामूहिक मानवीय गतिविधिया, रैली, जुलूस, सभा, धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगें।**

5. **मॉल्स यथा–रिलायन्स मार्केट, रिलायन्स स्मार्ट, डी–मार्ट, सिटी सेन्टर मॉल आदि पूर्णतः बन्द रहेगें।**

6. कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को कोई वस्तु विक्रय नहीं करेगा अथवा सेवायें नहीं देगा, जिसके द्वारा मुंह और नाक पर फेस मास्क/फेस कवर (रूमाल/गमछा आदि) का उपयोग नहीं कर रखा हों।

7. प्रतिष्ठान संचालक को उनके प्रतिष्ठान से सामग्री विक्रय एवं सेवायें देने के दौरान Wearing of Mask & Social Distancing के साथ–साथ चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों की अक्षरसः एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।

8. अनुमत गतिविधियों/प्रतिष्ठान के बाहर संबंधित दुकानदार/प्रबंधक द्वारा निर्धारित दूरी (न्यूनतम 6 फीट) में पेन्ट से अधिकतम 05 गोले बनायें जावेंगें एवं किसी भी संचालक द्वारा Wearing of Mask & Social Distancing की पालना नहीं किये जाने एवं करवाये जाने तथा 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होने पर प्रतिष्ठान को तत्काल बन्द करवाया जा सकेगा।

9. प्रतिष्ठान संचालक को उनके प्रतिष्ठान से सामग्री विक्रय एवं सेवायें देने के दौरान स्वंय एवं नागरिकों के लिये पर्याप्त मात्रा में सैनेटाईजर रखना एवं सामग्री/सेवायें देने से पूर्व एवं उसके उपरान्त सैनेटाईजर उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा।

9. समस्त धार्मिक स्थलो मे आमजन व दर्शनार्थियो पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा किन्तु प्रबंधन द्वारा साफ सफाई एवं पुजा अर्चना हेतु अधिकतम पांच व्यक्ति ही रह सकेगें।

.... 5

10. पुलिस विभाग, रसद विभाग एवं चिकित्सा विभाग द्वारा कालाबाजारी, जमाखोरी एवं मूल्य वृद्धि के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

11. जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलायीं जावेगी। आदेशों का उल्लघंन करने पर विधिक प्रावधानो के तहत नियमानुसार दण्ड़ात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

12. **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005,** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी एडवाईजरी में उल्लेखित प्रावधानो एवं निर्देशो भीलवाड़ा जिले के समस्त नागरिको द्वारा अक्षरसः पालना सुनिश्चित की जावेगी।

13. उक्त आदेश में वर्णित निर्देशों के साथ–साथ इस कार्यालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञाओं में प्रदत्त निर्देशो की सर्व–साधारण को अक्षरशः पालना सुनिश्चित किये जाना अनिवार्य एवं आवश्यक होगा।

14. ***चूंकि भीलवाड़ा के शहरी क्षेत्रों में लागू सख्त निषेधाज्ञा को ही प्रत्याहरित किया गया है अर्थात समस्त नागरिकों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत इस निषेधाज्ञा में वर्णित उक्तानुसार निर्देशों एवं लॉकडाऊन के संबंध में जारी गाईड लाईन/दिशा की अक्षरशः पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जावेगी।***

15. उक्त जारी निषेधाज्ञा की पूर्ण एवं सख्ती से पालना का दायित्व जिला पुलिस अधीक्षक, एवं समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला–भीलवाड़ा का होगा।

मैं, जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लघंन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं **"The Rajasthan Epidemic Dieases Act, 1957, National Disaster Manegment Act 2005** एवं अन्य सु–संगत विधिक प्रावधानो के अर्न्तगत अभियोजित एवं दण्ड़ित किया जा सकेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील कराया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु **भीलवाड़ा जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र मे** मुख्य–मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चस्पा कर, ध्वनि प्रसार यंत्रों एवं समाचार पत्रो के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावे।

यह आदेश **दिनांक 13.05.2020 को सांय 5.00 बजे से अग्रिम आदेश तक भीलवाड़ा जिले के समस्त शहरी क्षेत्रों में** प्रभावी रहेगा।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0, जयपुर
03. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान–जयपुर

.... 6

04. संभागीय आयुक्त, अजमेर
05. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
06. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
07. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
08. अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन / शहर) भीलवाडा
09. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
10. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त उप पुलिस अधीक्षक, जिला भीलवाडा
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा को आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु।
13. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
14. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
15. आयुक्त, नगर परिषद, भीलवाड़ा / समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलो पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगो को एकत्र नही होने की सलाह देने की व्यवस्था की जावे।
16. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
17. सम्बन्धित थानाधिकारी जिला भीलवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि ध्वनि प्रसारण यंत्रों के माध्यम से आदेश को जन साधारण को सूचित किये जाने हेतु। (द्वारा – जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा)
18. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलक्टर / पुलिस अधीक्षक / समस्त उपखण्ड / समस्त तहसील

जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा